अनुदान संख्या 71 - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
GRANT NO. 71 – MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged-*				
मूल	*Original*	*14,08,00*			
			20,08,00	*15,92,12*	*-4,15,88*
पूरक	*Supplementary*	*6,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,06,02*
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	561,77,00			
			607,83,00	594,94,82	-12,88,18
पूरक	Supplementary	46,06,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				5,00,10
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित -	*Charged-*		*9,00,00*	*5,00,00*	*-4,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*4,00,00*
स्वीकृत -	Voted-		121,51,00	107,66, 44	-13,84,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				13,53,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹415.88 लाख*)अगस्त, 2010 और नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए *₹600.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 69 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹415.88 lakhs*) constituted 69 percent of the supplementary *appropriation* of *₹600.00 lakhs* obtained in August, 2010 and November, 2010 and 21 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	*O.*	*15.00*			
पू.	*S.*	*45.00*	*55.00*	*54.36*	*-0.64*
पु.	*R.*	*-5.00*			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	*O.*	*1393.00*			
पू.	*S.*	*555.00*	*1546.98*	*1537.76*	*-9.22*
पु.	*R.*	*– 401.02*			

(I) मुख्य शीर्ष "2055" - "आपराधिक अन्वेषण तथा सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत *₹15.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹45.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹60.00 लाख* कर दिया गया जो, तथापि, ट्रैप राशि जारी किए जाने के लिए न्यायालय डिक्रियों की संख्या कम होने के कारण *₹5.64 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under Major Head "2055" – "Criminal Investigation and Vigilance – Central Bureau of Investigation" – the original *appropriation* of *₹15.00 lakhs* was augmented to *₹60.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹45.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹5.64 lakhs* – due to receipt of less number of court decrees for release of trap money.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "सतर्कता - केंद्रीय सतर्कता आयोग" के अंतर्गत *₹1393.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹555.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹1948.00 लाख* कर दिया गया जो, तथापि, जनसंचार-माध्यम अभियान के लिए कार्य-रीति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण *₹410.24 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2070" - "Vigilance - Central Vigilance Commission" - the original *appropriation* of *₹1393.00 lakhs* was augmented to *₹1948.00 lakhs* by obtaining supplementary appropriation of *₹555.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹410.24 lakhs* – due to delay in finalization of modalities for media campaign and economy measures.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1288.18 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹4606.00 लाख के पूरक अनुदान का 28 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1288.18 lakhs) constituted 28 percent of the supplementary grants of ₹4606.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 2 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat – General Services				
मू.	O.	13599.00			
पू.	S.	1.00	10069.37	9565.72	-503.65
पु.	R.	-3530.63			
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	4992.00			
			5524.15	5505.13	-19.02
पु.	R.	532.15			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission				
मू.	O.	3508.00			
पू.	S.	1500.00	5229.65	5225.00	-4.65
पु.	R.	221.65			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	21510.00			
पू.	S	2814.00	26790.24	26687.89	-102.35
पु.	R.	2466.24			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	12568.00			
पू.	S.	291.00	12669.49	12511.08	-158.41
पु.	R.	-189.51			

(I) ₹21.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2070" - "प्रशिक्षण - भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान" के अंतर्गत ₹457.50 लाख के मूल प्रावधान को ₹291.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹748.50 लाख कर दिया गया जो, तथापि, अतिरिक्त स्थान के निर्माण के लिए भूमि और विकास कार्यालय से अनुमति प्राप्त न होने कारण ₹47.47 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2052" - "सचिवालय - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹3993.36 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13496.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मामला न्यायाधीन होने की वजह से संस्कृति विद्यालय को समग्र निधि के सृजन के लिए अनुदान जारी न किए जाने, सिविल सेवा अधिकारी संस्थान भवन के निर्माण कार्य में विलंब होने, काल सेंटर की स्थापना, जनसंचार माध्यमों का प्रशिक्षण जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार संबंधी स्कीम के कुछ संघटकों को शुरू किए जाने में विलंब होने और राज्य सूचना आयोगों और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2070" - "प्रशिक्षण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "अन्य प्रशिक्षण स्कीमें" - ₹138.56 लाख की बचत (₹5916.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान" - ₹637.43 लाख की बचत (₹2213.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आधार पाठ्यक्रम के लिए सूचित सीधी भर्ती सहायकों के कम संख्या में प्राप्त होने, कार्य समय पर करने में निष्पादन अभिकरणों के अक्षम होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹21.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "2070" – "Training – Grant to Indian Institute of Public Adminsitration"– the original provision of ₹457.50 lakhs was augmented to ₹748.50 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹291.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹47.47 lakhs – due to non-receipt of permission from Land and Development office for construction of additional space.

(III) Under Major Head "2052" – "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions" – saving of ₹3993.36 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13496.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-release of grants to Sanskriti School for creation of Corpus fund owing to matter being subjudice, delay in construction work of Civil Services Officers Institute building, delay in taking off some components of the scheme for propagation of RTI Act like establishment of Call centre, Training of Media and non-receipt of sufficient proposals from State Information Commissions and Administrative Training Institutes.

(IV) Under Major Head "2070" – "Training" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Training Schemes" – saving of ₹138.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5916.50 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(B) "Institute of Secretariat Training and Management" – saving of ₹637.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2213.00 lakhs) was due to receipt of less number of direct recruits assistants reported for the foundation course, reduction of provision at revised estimates stage owing to inability of executing agencies in carrying out the work in time.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹71.56 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹71.56 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2479.30 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2055" - "आपराधिक अन्वेषण तथा सतर्कता - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत ₹2501.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2362.30 लाख था।

3.(I) The above savings were partly (₹2479.30 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹2501.00 lakhs under Major Head "2055" – "Criminal Investigation and Vigilance – Central Bureau of Investigation". Actual excess, however, was ₹2362.30 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2014" - "केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण-स्थापना" - ₹513.13 लाख का अधिक व्यय (₹4992.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की वजह से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की हवाई यात्रा में वृद्धि होने, अनुपयोगी घोषित किए गए वाहनों के बदले में 21 वाहनों की खरीद किए जाने, जीवन दीप भवन का नवीकरण किए जाने और कोलकाता, हैदराबाद, जबलपुर और एर्नाकुलम पीठों में किए गए कार्यों संबंधी प्रतिबद्ध देयताओं का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2014" – "Central Administrative Tribunals – Establishment" – excess of ₹513.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4992.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, increase in air travel of members of Central Administrative Tribunal owing to All India Annual Conference, purchase of 21 vehicles in replacement of condemned vehicles, renovation of Jeevan Deep Building and to clear committed liabilities on work carried out at Kolkata, Hyderabad, Jabalpur and Ernakulam Benches.

(खा) मुख्य शीर्ष "2051" - "कर्मचारी चयन आयोग - स्थापना" - ₹215.15 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4975.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, अधिक परीक्षाएं आयोजित किए जाने और विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "2051" – "Staff Selection Commission – Establishment" – excess of ₹215.15 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4975.00 lakhs including supplementary grant of ₹1500.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts, conduct of more examinations and increase in the number of candidates applied for various examinations.

(गा) मुख्य शीर्ष "2070" -

(क) "प्रशिक्षण - लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" - ₹359.93 लाख का अधिक व्यय (₹1317.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों के संशोधन संबंधी अदायगी किए जाने, चार नए भवनों में नई लिफ्टें और केंद्रीय तापन प्रणालियां लगाए जाने, 2 नए वाहन खरीदे जाने और हैदराबाद, भोपाल और नागपुर में आयोजित समानांतर आधार पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध देयता का निपटान

(C) Major Head "2070" –

(a) "Training - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" – excess of ₹359.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1317.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet revision of pay and allowances, installation of new lifts and central heating systems in four new buildings, purchase of 2 new

किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की अवश्यकता होने के कारण हुआ।

vehicles and to clear committed liability for parallel foundation courses held at Hyderabad, Bhopal and Nagapur.

(ख) "अन्य व्यय - केंद्रीय सूचना आयोग" - ₹231.60 लाख का अधिक व्यय (₹1134.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन और भत्तों में सामान्य वृद्धि संबंधी अदायगी किए जाने, कर्मचारियों की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था किए जाने, रिक्त पदों को भरे जाने और भवन के किराया एवं सेवा करों और रख-रखाव प्रभार संबंधी बकाया का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) "Other Expenditure – Central Information Commission" – excess of ₹231.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1134.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to meet normal increase in pay and allowances, outsourcing of staff, filling up of vacant posts and to clear arrear of rent and service taxes and maintenance charge of the building.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"				
राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार	Loans and advances to State Governments				
मू.	*O.*	*900.00*	*500.00*	*500.00*	..
पु.	*R.*	*-400.00*			

(I) "योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - भवन निर्माण अग्रिम-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी" के अंतर्गत *₹400.00 लाख* की बचत (*₹900.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांगें प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Under "Loans for Non-Plan Schemes – House Building Advance – All India Service Officers"– saving of *₹400.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹900.00 lakhs*) was due to receipt of less demands from the State Governments.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	9400.00	8698.00	8672.93	-25.07
पु.	R.	-702.00			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	2751.00	2100.00	2093.51	-6.49
पु.	R.	-651.00			

(I) ₹601.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹500.00 लाख मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रचार - सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और जागरूकता उत्पन्न किया जाना" के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्य कलापों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹601.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹500.00 lakhs accounted for under Major Head "4059" – "General – Construction – Propagation of RTI Act – Strengthening, Capacity Building and Awareness generation for effective implementation of RTI Act" - due to non-approval of proposed activities by the Planning Commission.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" - "अन्य व्यय - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" के अंतर्गत ₹727.07 लाख की बचत (₹9400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से अंतिम बिल प्राप्त न होने और मुंबई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भवन के निर्माण-पूर्व कार्यकलापों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4055" – "Other Expenditure – Central Bureau of Investigation" - saving of ₹727.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9400.00 lakhs) was due to non-receipt of final bill from National Building Construction Corporation and delay in finalization of pre- construction activities of CBI building at Mumbai.